

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:

24/अपील/2017

तारीख दायरा

20.01.2017

तारीख निर्णय

21.05.2018

हेमराज आ0 भूरा लाल जाति माली निवासी ग्राम करवर उप तहसील करवर जिला
बून्दी (राजस्थान) - अपीलांट

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार करवर जिला बून्दी (राज0)

- रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 29.03.2016

नायब तहसीलदार, करवर

अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित-

अपीलांट की ओर से - श्री दिनेश पारीक, अभिभाषक।

रेस्पोडेन्ट की ओर से - परोकार सरकार।


-: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार करवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 816 के रकबा 37X51.5=1905.05 वर्गफुट बिस्वा किस्म गे.मू.तालाब वाके ग्राम करवर तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये बेदखली, पैनाल्टी 50/- रूपये की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय वस्तु स्थिति एवं कानून के विपरित होने से निरस्तनीय है। विवादित भूमि आबादी क्षेत्र की है जिसका नियमानुसार ग्राम पंचायत से पट्टा बनाया गया है। अपीलान्ट द्वारा पट्टे की भूमि पर मकान बनाया गया है। जिस पर अपीलान्ट ने निर्माण कर काफी पैसा खर्च किया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में उक्त कार्यवाही अनापेक्षित है क्योंकि जब तक अपीलान्ट के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता तब तक पट्टे के आधार पर हुआ निर्माण वैध है एवं उक्त कार्यवाही द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। विवादित भूमि का बड़ा रकबा है और उस पर कई व्यक्तियों के पट्टे बने हुये है और सिविल न्यायाधीश (क0ख0) नैनवां द्वारा



प्रदान आदेश प्रभावी है कि "पट्टे को निरस्त किये बिना उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता" अपीलान्तीन निर्णय साईक्लोस्टाईल प्रपत्र में जारी किया गया है जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई साक्ष्य नहीं ली गई है। अपीलान्तीन को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्तीन द्वारा उक्त जगह पर नल, बिजली के कनेक्शन भी ले रखे हैं। अतः अपील अपीलान्तीन स्वीकार कर अपीलान्तीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्तीन को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्तीन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्तीन द्वारा अतिक्रमण कर मकान का निर्माण किया गया है। वह भूमि गे.मू. तालाब की भूमि है। जिसका पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। गे.मू.तालाब की भूमि सार्वजनिक हित की भूमि है। अतः अपील अपीलान्तीन खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अनुसार अपीलान्तीन का खसरा सं.-816 रकबा 37X51.5 वर्गफुट किस्म गे.मू.तालाब की भूमि है। उक्त रिपोर्ट पटवारी प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्तीन को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्तीन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्तीन ने अपील में अंकित किया है कि अपीलान्तीन ने मकान का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की भूमि पर करवाया गया है जो ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे बाबत कोई रिकॉर्ड, दस्तावेज अपीलान्तीन द्वारा पेश नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज करके अपीलान्तीन को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्तीन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है अपीलान्तीन द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। विवादित खसरा संख्या-816 गे.मू.तालाब की भूमि है। जिस पर किसी को अतिक्रमण करने या विक्रय करने का अधिकार नहीं है। गे.मू. तालाब की भूमि सार्वजनिक हित की भूमि है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण भूमि खसरा सं.-816 का पट्टा जारी किया गया है तो वह नियम विरुद्ध जारी किया गया है एवं नियमानुसार मान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्तीन को खसरा सं.-816 में अतिक्रमण मानकर बेदखल एवं शास्ति का आदेश पारित किया गया है वह न्यायसंगत एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्तीन खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव RAS)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

बून्दी (राज0)